



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235421
CG-DL-E-29042022-235421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1870]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2022/वैशाख 8, 1944

No. 1870]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2022/VAISAKHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2022

का.आ. 1970(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में NH16 के कि.मी. 98 से कि.मी.111 (अफिस अपे दि तहसिलदार, भन्दारीपोखरी, एट/ पोष्ट/ पि.एस- भन्दारीपोखरी, जिल्ला- भद्रक, पिन- 756120, ओडिशा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "१०.०३.२०२२" को "समाज" और "ओडिशापोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के भद्रक जिले में NH16 के कि.मी. 98 से कि.मी. 111 (अफिस अपे दि तहसिलदार, भन्डारीपोखरी, एट/ पोष्ट/ पि.एस- भन्डारीपोखरी, जिल्ला- भद्रक, पिन्- ७५६१२०, ओडिशा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण ।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: भद्रक			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी /हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: भण्डारीपोखरी				
	गांव का नाम: पाहि महुरा-२१				
1	708	निजी	जलाशय-II	0.0404694	सुका परिदा, डबल्यू/ओ- नित्यानन्द परिदा, राजा परिदा, ऍस्/ओ- सागर परिदा, भीमा परिदा, कृष्ण परिदा, गोकुली परिदा, गौर हारी परिदा, ऍस्/ओ- मानी परिदा, सुकदेव साहू, ऍस्/ओ- जगाए साहू, केस्ट- निआरी, पांचाली डेस्, जंजली डेस्, ऍस्/ओ- बंचनिधि डेस्, केस्ट- चासा, वी, पहिमहूर ()
2	716/844	निजी	घरबरी	0.0080939	तपास रंजन प्रधान, ऍस्/ओ- हृषिकेश प्रधान, केस्ट- चासा, भिलझ- जयकृष्णपुर ()
			कुल	0.0485633	

[फा. सं. NHA/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2022

S.O. 1970(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 on the stretch of land from Km. 98 to Km. 111 (Office of the Tahasildar, Bhandaripokhari, At/Po/PS- Bhandaripokhari, Dist- Bhadrak, Pin-756120, Odisha) in the district of BHADRAK in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Samaj” and “The OrissaPost” both dated 10.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any corner by the competent Authority; ;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 in the stretch of land from Km. 98 to Km. 111 (Office of the Tahasildar, Bhandaripokhari, At/Po/PS- Bhandaripokhari, Dist-Bhadrak, Pin-756120, Odisha) in the district of BHADRAK in the state of ODISHA.

State: ODISHA		District: BHADRAK			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bhandaripokhari				
	Village: Pahimahura - 21				
1	708	Private	Jalasaya-II	0.0404694	Suka Parida, W/o- Nityananda Parida, Raja Parida, S/o- Sagara Parida, Bhima Parida, Krushna Parida, Gokuli Parida, Gour hari Parida, S/o- Mani Parida, Sukadeva Sahoo, S/o- Jagaei Sahoo, Caste- Niari, Panchali Das, Janjali Das, S/o- Banchanidhi Das, Caste- Chasa, VIII, Pahimahura
2	716/844	Private	Gharabari	0.0080939	Tapasa Ranjan Pradhan, S/o- Hrusikesha Pradhan, Caste- Chasa, Village- Jayakrushnapur
			TOTAL	0.0485633	

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D]

RAJESH GUPTA, Director